रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-01102021-230095 CG-DL-E-01102021-230095

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 563]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 30, 2021/ आश्विन 8, 1943 NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 30, 2021/ASVINA 8, 1943

No. 563]

नागर विमानन मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2021

सा.का.नि. 680(अ).—वायुयान (दुर्घटनाओं एवं घटनाओं का अन्वेषण) नियम, 2017 कतिपय नियमों को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप, जिन संशोधनों को केंद्रीय सरकार वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए करना प्रस्तावित करती है, को इससे प्रभावित होने वाले सभी संभावित व्यक्तियों की सूचनार्थ उक्त अधिनियम की धारा 14 द्वारा यथोपेक्षित एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर भारत के राजपत्र, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित होती है, की जिन प्रतियों पर अंकित तारीख से तीस दिन की अविध के बाद विचार किया जाएगा, वे जनता को उपलब्ध कराई जाती है;

आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हो, श्री प्रांजल चंद्रा, निदेशक, नागर विमानन मंत्रालय,राजीव गांधी भवन, नई दिल्ली – 110003 (ईमेल-vesec.moca@nic.in) को संबोधित किए जा सकते हैं;

उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति की ओर से उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि से पहले प्राप्त होने वाली किसी भी आपत्ति या सुझाव पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

5557 GI/2021 (1)

प्रारूप नियम

- 1. (1) इन नियमों को वायुयान (....संशोधन) नियम, 2021 कहा जा सकता है।
 - (2) ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवर्तित होंगे।
- 2. वायुयान (दुर्घटनाओं और घटनाओं का अन्वेषण) नियम, 2017 में,
 - (1) नियम 18 का विलोप किया जाएगा।
 - (2) नियम 19 का विलोप किया जाएगा।

[फा.सं. एवी -11012/1/2021-डीजी] सत्येंद्र कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पणी:- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 1011(अ) दिनांक 7 अगस्त 2017 और अंतिम बार संशोधित सा.का.िन. 222(अ), दिनांक 30 मार्च, 2021 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), दिनांक 30 मार्च, 2021 में प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2021

G.S.R. 680(E).—The following draft of certain rules further to amend the Aircraft (Investigation of Accidents & Incidents) Rules, 2017, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 7 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934), is hereby published as required by Section 14 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after a period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette of India in which this notification is published, are made available to the public.

Objections or suggestions, if any, may be addressed to Shri Pranjol Chandra, Director, Ministry of Civil Aviation, Rajiv Gandhi Bhawan, New Delhi (Email ID: vesec.moca@nic.in).

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period specified above, will be considered by the Central Government.

Draft Rules

- - (2) These shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
- 2. In the Aircraft (Investigation of Accidents and Incidents) Rules, 2017,
 - (1) rule 18 shall be omitted.
 - (2) rule 19 shall be omitted.

[F. No. AV-11012/1/2021-DG]

SATYENDRA KUMAR MISHRA, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number G.S.R. 1011(E) dated 7th August 2017 and last amended vide G.S.R. 222(E), dated the 30th March, 2021 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 30th March, 2021.